संख्या-10/2016/1129एस0सी0/18-2-16-111/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2016

विषय- चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतों हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-24 में स्वीकृत रू0 25.00 करोड़ (रूपए पचीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 20-06-16 को हुई बैठक में 02 कम्पनियों/ इकाईयों यथा-कुम्भी चीनी मिल्स कुम्भी, जनपद लखीमपुर खीरी को रू0 3,62,38,354.00 तथा धामपुर चीनी मिल्स लि0 इकाई रजपुरा, जनपद सम्भल को रू0 6,22,71,258.00 कुल रू0 9,85,09,612.00 -अर्थात रू0 10.00 करोड़ (रूपया दस करोड़ मात्र) एक मुश्त व आवर्ती दावों के अर्न्तगत 05 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अर्न्तगत देय उपरोक्त छूट/रियायतों हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ।

2- उक्त् धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- चीनी आयुक्त उक्त आहरण की सूचना उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

5- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। वित्त नियन्त्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

6- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-2852-08-चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत छूट/ रियायतें-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2016/1129(1)एस0सी0/18-2-16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
4- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in